न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 232/2015

निर्णय दिनांक :– 23-12-2019

हड़मानाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम जान्दवा तह. रतनगढ जि.चूरू

... प्रार्थी

बनाम

1. लिछमणराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम जान्दवा तह. रतनगढ जि. चूरू
2. नथूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम जान्दवा त. रतनगढ जिला चूरू
3. रामकरण पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम जान्दवा त. रतनगढ जिला चूरू
4. बीरजूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम जान्दवा त. रतनगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री रोहिताशसिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री माणकचन्द जोशी अभिभाषक अप्राथी सं. 1
3. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभि. अप्रार्थी सं. 2
4. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 16.7.2015 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के वारिसान है। रोही ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ में खेत ख.नं. 263 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा, ख.नं. 349 तादादी 5 बीघा, ख.नं. 350 तादादी 13 बीघा 11 विश्वा व ख.नं. 388 तादादी 5 बीघा 13 विश्वा कुल रकबा 38 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

18 विश्वा भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता मुखिया खानदान होने के कारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी उसके नाम चली आ रही है। वादगत भूमि सेवाराम जी के समय की पैतृक सहदायिक सम्पति रही है। पक्षकारान हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। वादगत भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का 1/5,1/5 हिस्सा जन्म से ही संयुक्त हक पैतृक सम्पति होने से कानूनन हो गया था । अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा उक्त संयुक्त परिवार की भूमि को रहन रखकर ट्रेक्टर का ऋण लिया था, जिसका भुगतान बैंक को न करने पर निलामी कार्यवाही की गई थी, जिसे रूकवाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का 1/5,1/5 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर लिया था। जिसका अकंन राजस्व रेकार्ड में हो चुका है। वादगत संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा हिस्सा विक्रय कर दिये जाने से कानूनन प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 का 2/3 हिस्सा हो चुका है। जिसे राजस्व रेकार्ड में अकिंत करवाने व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेखों से दुरूस्त कर हटवाने के अधिकारी है। वर्तमान इन्द्राजात अप्रार्थी सं. 1 के अकेले के नाम किये गये है, वोह प्रार्थी के अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही अवैध, शून्य व निष्प्रभ है। वादगत सम्पति का पारिवारिक मौखिक विभाजन हो चुका है। प्रार्थी को अपने हिस्से के उपयोग उपभोग व अन्य योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा गलत संयुक्त खातेदारी अकंन होने का नाजायज लाभ उठाकर प्रार्थी को बार बार उसके कब्जे की भूमि को विक्रय कर जबरन बेदखल करने की धमकियां दी जाती रही है। अप्रार्थी सं. 1 लिछमणराम अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के हिस्से में जबरन प्रवेश कर जबरन बेदखल करने, विक्रय करने व भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी के हिस्से को जबरन विक्रय रहन आदि करने से प्रार्थी के अपने खातेदारी भूमि से वचिंत होना पड़ेगा। जिसका अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह प्रार्थी के ख.नं. 263 में मौखिक विभाजन के रूप में 12 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

19 विश्वा उतरी तरफ के हिस्से पर बाड़, निर्माण, विकय रहन आदि नही करें व प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखल व बाधा उत्पन्न न करें व ना ही किसी से करवायें।

3. अप्रार्थी संख्या 01 लिछमणराम की ओर से दिनांक 26.4.2017 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 2 के अभिभाषक की ओर से नोट प्रेस किया गया व शेष अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत न होने पर जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लिछमणराम का कथन है कि वादगत भूमि पैतृक नही है। इस भूमि में से ख.नं. 263 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा को दिनांक 9.8.2016 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 नत्थूराम को विकय की जाकर मौके पर कब्जा दे दिया गया है। शेष 24 बीघा 04 विश्वा भूमि मुझ अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी के पिता सेवाराम जी की खातेदारी के कई खेत ग्राम जान्दवा की रोही स्थित थे। जिनकी मृत्यू दिनांक 6.9.1973 के बाद उनके तीन पुत्रों व पत्नी के नाम वादगत भूमि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है। सेवाराम जी के वारिसान के मध्य विधिवत विभाजन जरिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ की अतिंम डिकी दिनांक 9.8.1991 से होकर मद सं. 4 में अकिंत भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी व रेकार्ड में दर्ज हो गई है। वादगत भूमि माता दीपादेवी की मृत्यू सन् 1982 में होने के बाद भाईयों के मध्य विभाजन होकर प्राप्त हुई है जो किसी भी प्रकार से सहदायिकी सम्पति व पैतृक सम्पति नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण जो उसके पुत्र है उनके द्वारा अपनी पत्नियों के नाम से गुपचुप तरीके से अनपढ व वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाकर ख.नं. 569/293 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा भूमि का बेचान करवा लिया। प्रार्थी का दावा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 4,8,15,19 व अनुसूची वर्ग 1 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार से चलने योग्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. बहस उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि रोही ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ में खेत ख.नं. 263 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा, ख.नं. 349 तादादी 5 बीघा, ख.नं. 350 तादादी 13 बीघा 11

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

विश्वा व ख.नं. 388 तादादी 5 बीघा 13 विश्वा कुल रकबा 38 बीघा 18 विश्वा भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का 1/5,1/5 हिस्सा 14 बीघा 14 विश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर लिया था। जिसका अकंन राजस्व रेकार्ड में हो चुका है। वादगत संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा हिस्सा विक्रय कर दिये जाने से कानूनन प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 का 2/3 हिस्सा हो चुका है। अप्रार्थी लिछमणराम ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश, रतनगढ के न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज हो चुका है। वादगत भूमि पैतृक मानली गई है। पैतृक सम्पति में से अपने हिस्सा से अधिक हिस्सा विक्रय नही किया जा सकता है। ख.नं. 263 का विशिष्ट हिस्से को विक्रय करना गलत है। इससे मुकदमेबाजी बढेगी। पैतृक सम्पति का विवाद है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वादगत भूमि में से प्रार्थी के हिस्सा 12 बीघा 19 विश्वा उतरी ओर की भूमि में किसी प्रकार से दखल व बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2018(2) सीजे (सिविल) एस.सी. पेज 559, आर.आर.डी. 1981 पेज 512, आर.एल.डब्लू 1992 (1) पेज 452,आर.आर.डी. 1999 पेज 472, आर.आर.डी. 2005 पेज 349, आर.आर.टी. 2009–2010 पेज 208, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1370, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 156 एस.सी. , आर.आर.टी. 2018–19 पेज 531, आर.आर.डी. 2010 पेज 108 व आर.आर.डी. 2010 पेज 96 प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं. 2 नत्थूराम के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 105/2013 नत्थूराम बनाम लिछमणराम आदि को नोट प्रेस कर दिया गया तथा उनका कथन है कि हनुमानाराम प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति होना साबित किया जाना है। अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादगत कृषि भूमि पैतृक नही है तथा ना ही संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया कर्ता खानदान के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई कानूनी हक व अधिकार नही बनता है। सेवाराम जी मृत्यू के बाद उनके वारिसान तीनों पुत्रों डालूराम, लिछमणराम व भगवानाराम के मध्य विधिवत विभाजन होकर अतिंम डिक्री दिनांक 9.8.1991 की पालना में इन्तकाल

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

सं. 153 दिनांक 22.2.1993 को राजस्व रेकार्ड में अकंन हुआ है। इस प्रकार यह सहदायिकी या पैतृक सम्पति नही है। प्रार्थी का कोई अधिकार जन्म से उत्पन्न नही होता है। अपनी बहस के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से धारा 19 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, ए.आई.आर. 2019 (एनओसी) 460 (एमपी), ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2489, 2008(1)डीएनजे (एससी) 364, श्रीमती कमलेश बावरी बनाम रनजीतसिंह आर.आर.डी. 14.5.17 पेज 286 (हाई कोर्ट) प्रस्तुत की गई है।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की ओर से पैतृक सम्पति होना बताया जाकर वादगत भूमि में से ख.नं. 263 के उतरी ओर की 12 बीघा 19 विश्वा भूमि कब्जा काश्त में होना बताया है तथा अप्रार्थी सं. 1 लिछमणराम के नाम अकिंत खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। वादगत खेत ख.नं. 263 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा, ख.नं. 349 तादादी 5 बीघा, ख.नं. 350 तादादी 13 बीघा 11 विश्वा व ख.नं. 388 तादादी 5 बीघा 13 विश्वा कुल रकबा 38 बीघा 18 विश्वा अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि यह भूमि पैतृक है तथा पैतृक होने से उसका 1/3 हिस्सा बनता है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि वादगत भूमि पैतृक नही है यह भूमि उसे पिता सेवाराम व माता दीपादेवी की मृत्यू के पश्चात भाईयों के साथ विभाजन की डिक्री के बाद प्राप्त हुई है। अब हस्तगत प्रकरण में यह देखना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के तीनो सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्त्य क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अथवा नही? वादगत भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 लिछमणराम को उसके पिता सेवाराम की मृत्यू के बाद अन्य भाईयों डालूराम व भगवानाराम के साथ प्राप्त हुई है तथा वादगत आराजी न्यायालय की डिक्री के पश्चात विभाजन में अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 19 (4) में मृतक से एक ही समान रिश्ता रखने वाले व्यक्तियों को मृतक की सम्पति व्यक्तिवार उतराधिकार में प्राप्त होने का प्रावधान है। इसी प्रकार अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2019 (एनओसी) 460 (एम.पी.), ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1330 व ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 2489 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

"Once share of co-parcener is determined, it ceases to be coparcenanry property - Suit property loses its character after partition and becomes self acquired property- Parties in such event would not possess property as "joint tenant" but as "tenants in common".

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 लिछमणराम को वादगत कृषि भूमि व्यक्तिवार उतराधिकार में प्राप्त हुई है तथा उसका न्यायालय से डिक्री के पश्चात विभाजन हो चुका है। प्रार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है वो सहदायिकी सम्पति के सम्बन्ध में है, जो हस्तगत प्रकरण पर लागु नही होते है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रार्थी वादगत भूमि का रेकार्डेड खातेदार नही है इसलिए अपूर्त्य क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। न्यायालय एक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नही समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत खेत ख.नं. 263 तादादी 14 बीघा 14 विश्वा, ख.नं. 349 तादादी 5 बीघा, ख.नं. 350 तादादी 13 बीघा 11 विश्वा व ख.नं. 388 तादादी 5 बीघा 13 विश्वा कुल रकबा 38 बीघा 18 विश्वा रोही ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 15:04:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: